न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : ५१ /2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. सुखविन्द्र सिंह पुत्र मुर्ता सिंह जाति जटसिख निवासी 17 ओ तहसील श्रीकरणपुर		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:- 08.07.2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

--निर्णय--

दिनांक : 08.07.2022

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 17 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 8/5 के मुरब्बा नम्बर 21 की कुल 0.038 हेक्टैयर नहरी भूमि में क्रम संख्या 5 पर देव सिंह नाम गलत दर्ज है। जबकि सही नाम बलदेव सिंह है। जिसे दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संम्बध में तहसीलदार श्रीकरणपुर प्राप्त होने पर प्रकरण भू-राजस्व अधिनियम -1956 की धारा 136 में दर्ज रजिस्टर किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 17 ओ की चालू जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 8 में संयुक्त खाते में देव सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह 9/38 हिस्सा जाति जटसिख साकिन पनिहारी खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। गत जमाबन्दी सम्वत 2064 ता 67 में जरिए इन्तकाल संख्या 321 विरास्तन स्वीकृत दिनांक 21.02.2012 के द्वारा नाम बलदेव सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह अंकित था, परन्तु उसके बाद बनी जमाबन्दी में देव सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह अंकित हो गया जो कि बदस्तुर चला आ रहा है। जो लिपिकीय त्रुटि के कारण हो गया है। अतः वर्तमान जमाबन्दी चक 17 ओ सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 8/5 में मुश्तर्का खातें में देव सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह के स्थान पर बलदेव सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह किया जाना उचित है।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र बलदेव सिंह, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात [illegible] 17 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 8/5 की [illegible] इन्तकाल संख्या 321 दिनांक 21.02.2012 की प्रति, [illegible] तसदीक ग्राम पंचायत पनहारी पंचायत समिति [illegible] की प्रति, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता [illegible] की छायाप्रतियां के अवलोकन से स्पष्ट है। प्रार्थी द्वारा चक 17 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 8/5 के मुरब्बा नम्बर 21 की कुल 0.038 हेक्टैयर नहरी भूमि में क्रम संख्या 5 पर अंकित नाम देव सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह के स्थान पर बलदेव सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.12.12 11:14:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

करवाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार गत जमाबन्दी सम्वत 2064 ता 67 में जरिए इन्तकाल संख्या 321 विरासतन स्वीकृत दिनांक 21.02.2012 के द्वारा नाम बलदेव सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह अंकित था, परन्तु उसके बाद बनी जमाबन्दी में देव सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह अंकित हो गया जो कि बदस्तुर चला आ रहा है। जो लिपिकीय त्रुटि के कारण हो गया है। अतः वर्तमान जमाबन्दी चक 17 ओ सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 8/5 में मुश्तर्का खाते में देव सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह के स्थान पर बलदेव सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह किया जाना उचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, बलदेव सिंह के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र बलदेव सिंह के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 17 ओ, पटवार हल्का 15 ओ, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 8/5 के मुरब्बा नम्बर 21 की कुल 0.038 हेक्टैयर नहरी भूमि में क्रम संख्या 5 पर अंकित नाम देवसिंह पुत्र महेन्द्र सिंह के स्थान पर बलदेव सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। आदेश इस आशय का जारी हो। आदेश की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 08.07.22 को मेरे द्वा[illegible] सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.12.12 11:14:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर

फोन नं. [illegible] ईमेल sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- राजस्व/2022/128 दिनांक :- 08.07.2022

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषय:- प्रकरण संख्या 49/2022 अनवान सुखविन्द्र सिंह बनाम स्टेट राजस्थान जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट में पारित **निर्णय दिनांक 08. 07.2022 संबध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण मे पारित निर्णय दिनांक 08.07.2022 के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 17 ओ, पटवार हल्का 15 ओ, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 8/5 के मुरब्बा नम्बर 21 की कुल 0.038 हेक्टैयर नहरी भूमि में क्रम संख्या 5 पर अंकित नाम देवसिंह पुत्र महेन्द्र सिंह के स्थान पर बलदेव सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तूर रहेंगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.12.12 11:14:05 IST
Reason: SelfAttested